भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3367
उत्तर देने की तारीखः 09.12.2019

निजी विश्वविद्यालय

3367. श्री सोयम बापू रावः
श्री धनुष एम. कुमारः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में चल रही यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अधिकांश निजी विश्वविद्यालयों में यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धरित वित्त व्याप्तता और आधरिक अवसंरचना का अभाव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विशेषज्ञ समितियों की मदद से यूजीसी प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय की गुणवत्ता और प्रदर्शन का पता लगाने हेतु निरीक्षण करती है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कराए गए निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कमियां पाई गई हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : दिनांक 03.12.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में 344 निजी विश्वविद्यालय कार्यात्मक हैं। इन विश्वविद्यालयों के नामों को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है।

(ख) से (ड.) : निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम की प्राप्ति पर संबंधित विश्वविद्यालय को निरीक्षण हेतु निर्धारित प्रारूप में यूजीसी को विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने को कहा जाता है। इसके बाद, यूजीसी द्वारा यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और मानकों का रखरखाव) विनियम, 2003 के अनुसरण में निजी विश्वविद्यालय में कार्यक्रमों, संकाय, अवसंरचना सुविधाएं, वित्तीय व्यवहार्यता आदि के संदर्भ में मानदंड की पूर्ति के मूल्यांकन हेतु संबंधित सांविधिक परिषदों के प्रतिनिधियों की एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाती है।

आज की तारीख तक, 263 निजी विश्वविद्यालयों ने निरीक्षण हेतु यूजीसी को अपनी सूचना प्रस्तुत की है। इनमें से, अब तक, यूजीसी द्वारा 199 विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया गया है। इन 199 विश्वविद्यालयों में से, 132 निजी विश्वविद्यालयों ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं जिन्हें आयोग द्वारा नोट कर लिया गया है।

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में यूजीसी विशेषज्ञ समितियों द्वारा कुल 71 निजी विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया गया है। इन समितियों की कार्यक्रमों के संबंध में कमियों, टिप्पणियों एवं सुझावों, संकाय, अवसंरचना सुविधाओं, वित्तीय व्यवहार्यता आदि की रिपोर्टें अनुपालन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय को भेजी गई थी। इनमें से, 42 विश्वविद्यालयों ने यूजीसी को अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिन्हें आयोग द्वारा नोट कर लिया गया है। इनका वर्षवार विवरण निम्नवत है:-

वर्ष	**निरीक्षित निजी विश्वविद्यालयों की संख्या**	**यूजीसी द्वारा नोट किया गया अनुपालन**
2016	18	14
2017	13	09
2018	17	12
2019	23	07
कुल	**71**	**42**

*****